न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—73/2021 (GCMS No. 2021/78) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. हजारी पुत्र रामसहाय आयु 75 साल जाति मीना निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 14.07.2021 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 22/2021 उनवान हजारी बनाम राज. सरकार व निर्णय दिनांक 1.2.2021 न्यायालय नायब तहसीलदार टोडाभीम मु.नं. 52/2021 उनवान सरकार बनाम हजारी।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्टस की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 14.07.2021 एवं नायब तहसीलदार टोडाभीम के आदेश दिनांक 1.2.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट का आराजी ख.नं. 2960 रकवा 0.35 हैक्टे. किस्म चाही—3 पर संवत् 2061 से पूर्व का कब्जा काश्त है। भूमि धारा 16 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत गैर मुमकिन रास्ता या चारागाह भूमि या अन्य किसी प्रकार की गैर मुमकिन

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

भूमि नहीं है। उक्त भूमि आवंटन योग्य है। अपीलांट भूमि पर 10 वर्ष अधिक समय से लगातार काश्त कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडाभीम द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर एकपक्षीय रूप से न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए हमें 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुए निर्णय पारित किया है। हमने संवत् 2052 से 2077 तक की खसरा परिवर्तनशील भी पेश की है। उक्त निर्णय की अपील हमने अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहॉ पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अतिरक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा भी उक्त अपील शर्त के साथ आंशिक स्वीकार की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाधीन आदेश मनमाने तरीके से पारित किये गये हैं। जिसके विरूद्व यह अपील पेश की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अधिवक्ता हाजिर अदालत आये।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को अपील पर सुना।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्रावली की ओर ध्यान आकर्षित कर दलील दी कि हमने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 14.07.2021 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार टोडाभीम के निर्णय दिनांक 1.2.2021 के विरूद्व पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार का निर्णय दिनांक 1.2.2021 हमारी अनुपस्थिति में एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर एकपक्षीय रूप से न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलांट का संवत् 2061 से पूर्व से कब्जा काश्त है तथा भूमि धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत नहीं आने से आवंटन योग्य है। अपीलांट इस भूमि पर 10 वर्ष से अधिक समय से लगातार काश्त कर रहा है जिससे भूमि अपीलांट को नियमन किये जाने योग्य है। हमने संवत् 2052 से 2077 तक की खसरा परिवर्तनशील भी पेश की है। हमें 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है जबकि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/आदेश/निर्देशों के तहत यह भूमि हमारे नाम नियमित होनी चाहिए थी। यदि भूमि नियमित नहीं करें तो सजा माफ करें जैसाकि संवत् 2051 से हम काबिज काश्त हैं। हमारी अपील स्वीकार फरमायी जावे और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर पुनः सुनवाई वास्ते अधीनस्थ न्यायालय टोडाभीम को रिमाण्ड की जावे।

5. विद्वान पैरोकार रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों का विरोध करते हुये तर्क दिया कि विवादित भूमि सरकारी/सिवायचक है जिसकी किस्म चाही–3 है और इस पर अपीलांट द्वारा मौके पर कब्जा कर फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलांट को विवादित आराजी पर बार–बार

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

भौतिक रूप से बेदखल एवं फसल नीलामी करते हुए शास्ति से दण्डित किया जाता रहा है। किन्तु अतिक्रमी बार–बार इस भूमि पर अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलांट को विधिवत तामील करवाई जाकर सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया गया था किन्तु वह अनुपस्थित रहा। हर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से ही विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय बिल्कुल सही एवं विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोडाभीम दिनांक 1.2.2021 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट हजारी पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी बौंल का ग्राम बौंल में चाही–3 भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने पर ही उसे बेदखल करने, लगान के 50 गुना की शास्ति एवं 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया था। इसके अलावा अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91(क) के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसकी तामील अपीलांट स्वयं द्वारा प्राप्त की गई थी किन्तु अपीलांट को पूर्ण रूप से सूचना होने पर भी दिनांक 1.2.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इस तामील को पर्याप्त मानते हुये निर्णय दिनांक 1.2.2021 अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तनशील से भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण किया है और राजस्व कर्मियों द्वारा हर वर्ष उसे बेदखल किया गया होगा किन्तु वह आदतन अतिचारी हो कर हर बार अतिक्रमण करता रहा है जिससे उसके पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से ही उसे कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। इसके अलावा अपीलांट को विधिवत तामील होना पायी जाती है और वह सूचना के बाद भी सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहा था जिससे उसका यह तर्क कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला सरासर गलत है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन भी बिल्कुल सही है कि ऐसे अतिचारियों को राजकीय भूमियों का नियमन करने से अन्य लोगों में अतिक्रमण/अवैध कब्जा करने की प्रवृति बढेगी। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में कोई विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है। ऐसे में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विधिसम्मत होने से उनमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दलील के सारहीन व निराधार होने से हम उनसे कतई भी सहमत

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नहीं हैं। उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 1.2.2021 एवं 14.07.2021 यथावत रखे जाते हैं। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर